भागलपुर नगर निगम, भागलपुर

मूल्य - रु. 5/-

क्र०सं० : 31703

स्व-कर निर्धारण प्रणाली प्रपत्र

(बिहार में नगर पालिकाओं के लिए स्व-मूल्यांकन संपत्ति कर/रिक्त भूमिकर के लिए प्रपत्र)

नगर निगम/नगर परिषद् / नगर पंचायत ____________________

अंचल (यदि हो) : ____________________

(तारांकित (*) फिल्ड में सूचना देना अनिवार्य है)

1. आकलन का वर्ष * : 2014-15
2. नया होल्डिंग संख्या * : ____________ पुराना होल्डिंग संख्या * ____________
   (यदि नगरपालिका द्वारा आबंटित हो) (यदि नगरपालिका द्वारा आबंटित हो)
3. वार्ड संख्या * : ____________ राजस्व अंचल संख्या * : ____________
4. यूनिक संपत्ति पहचान संख्या (पी.आई.डी.) ____________
   (यदि नगरपालिका द्वारा आबंटित हो)
5. स्वामित्व का प्रकार * (कृपया अनुलग्नक 1 का खंड क 1 देखें) ____________
6. स्वामित्व का विवरण * (यदि एक ही संपत्ति के चार से अधिक मालिक हों तो कृपया अनुलग्नक संलग्न करें)

नाम/कंपनी का नाम/संस्था आदि	पिता/पति का नाम/पैनकार्ड संख्या	लिंग (पु०/स्त्री)

7. संपत्ति की स्थिति * : भवन/फ्लैट ☐ रिक्त भूमि ☐ मिश्रित (रिक्त भूमि+भवन) ☐
   (जो लागू हो कृपया उसे चिह्नित करें)
8. वर्षा जल संचयन की सुविधा उपलब्धता * : हाँ ☐ नहीं ☐
   (यदि भूमि आपकी नहीं हो तो लागू नहीं)
9. सम्पति का विवरण * :

रोड जिस पर स्थित है (कृपया अनुलग्नक IV देखें और जो लागू हो कृपया उसे चिह्नित करें)	प्रधान मुख्य सड़क ☐ मुख्य सड़क ☐ अन्य ☐
उपयोग का प्रकार (जो लागू हो कृपया उसे चिह्नित करें)	पूर्णतः आवासीय ☐ पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक ☐ आंशिक आवासीय और आंशिक वाणिज्यिक या औद्योगिक ☐ अन्य (कृपया अनुलग्नक III देखें) ☐
अधिग्रहण /संपत्ति के निर्माण का वर्ष	
संपत्ति / मकान संख्या	
पता	
पिन कोड	

10. पत्राचार का पता (यदि उपरोक्त दिए गए पते से भिन्न हो)

संपत्ति / मकान संख्या	
पता	
पिन कोड	

11. संपर्क का विवरण

मोबाईल नंबर *		टेलीफोन नंबर	
ईमेल			

12. भूखंड/भूमि का विवरण (अगर आप केवल एक फ्लैट के रूप में बनाया भाग या इमारत की एक मंजिल का स्वामित्व वाले ही हो तथा आपके पास भूमि का स्वामित्व न हो तो, कृपया क्रमांक 13 में विवरण दर्ज करें) * :

12A	प्लॉट /भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	
12B	निर्मित क्षेत्र / भूतल पर निर्माण (वर्ग फुट में)	
12C	निर्मित क्षेत्र प्रतिशत में = (12B / 12A) x 100	
नोट : यदि 12C, 70% से अधिक या बराबर हो तो क्रमांक 13 में विवरण दर्ज करें अन्यथा 12D में विवरण दर्ज करें।		
12D	कर योग्य रिक्त भूमि (वर्ग फुट में) = 12A - (12B × 1.43)	
12E	रिक्त भूमि कर की दर (अनुलग्नक 1 का खंड क 3 देखें।) (रु)	
12F	वार्षिक रिक्त भूमि कर (12D x 12E) (रु)	

13. भवन का विवरण और टैक्स गणना (यदि आवश्यक हो तो अनुलग्नक संलग्न करें) (कृपया सम्पत्ति का विवरण अनुलग्नक II के आधार पर प्रदान करें।) * :

मंजिल सं.	आवासीय या गैर आवासीय (R या NR)	निर्माण का प्रकार	कर योग्य क्षेत्र (वर्ग फूट में) (कृपया अनुलग्नक 1 का खंड क4 देखें)	इकाई क्षेत्र दर (रुपए/ वर्ग फुट) (अनुलग्नक II के आधार पर लागू दर)	गैर-आवासीय उपयोग (कृपया अनुलग्नक I का खंड क 5 पारा देखें)	अधिभोगकारक (कृपया अनुलग्नक I का खंडक 3 देखें)		वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) (13D x 13E x 13H)	संपत्ति कर की दर (%)	वार्षिक संपत्ति कर (रु) (13Ix13J)
					उपयोगकारक आईडी	S अथवा T	कारक			
13A	13B	13C	13D	13E	13F	13G	13H	13I	13J	13K

(मंजिल संख्या : बेसमेंट 1=-1 बेसमेंट.2 = -2 भूतल = 0, प्रथम तल = 1, द्वितीय तल = 2 आदि) निर्माण का प्रकार- आर.सी.सी. छत वाला पक्का भवन-1, अस्बेस्ट्स/कौरोगेटेड चादर की छत वाला पक्का भवन-II, अन्य-III)

14. टैक्स की गणना * :

14A	वार्षिक किराया मूल्य (एआर.वी.) (13l का योग)	रु०	
14 B	कुल संपत्ति कर (13k का योग)	रु०	
14 C	कुल वार्षिक कर (12F + 14B)	रु०	
14 D	छूट (कृपया अनुलग्नक I का खंड क 6 देखें)	रु०	
14 E	ब्याज / दण्ड (कृपया अनुलग्नक I का खंड क 7 देखें)	रु०	
14 F	कुल वार्षिक संपत्ति कर (14C – 14D + 14E)	रु०	

15. बकाया राशि का विवरण और उस पर ब्याज / दण्ड * :

वित्तीय वर्ष (15A)	राशि (रु.) (15B)	ब्याज / दण्ड (रु.) (15C)	योग (रु.) (15D)
2010–11 से पहले			
2010–11			
2011–12			
2012–13			

16. कुल देय राशि * :

16.1 संपत्ति कर के ब्याज सेवा प्रभार (केवल गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जा रहे सरकारी सम्पत्तियों के लिए लागू)

16.1A	सेवा प्रभार (14F x 75/100)	रु०	
16.1B	कुल सेवा देय प्रभार (15D का योग + 16.1A)	रु०	
16.1C	कुल सेवा देय प्रभार (15D का योग + 16.1A)	शब्दों में	

16.2 संपत्ति कर (16.1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले संपत्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए लागू)

16.2A	कुल संपत्ति कर (14F + 15D का योग)	रु०	
16.2B	कुल संपत्ति कर (14F + 15D का योग)	शब्दों में	

17. भुगतान का विवरण * :

18A	भुगतान किया गया (जो लागू हो कृपया उसे चिह्नित करें)	नगरपालिका			अधिसूचित बैंक		नगर सुविधा केन्द्र	
18B	भुगतान का तरीका (जो लागू हो कृपया उसे चिह्नित करें)	नकद		चेक	डिमांड ड्राफ्ट		कार्ड/नेट बैंकिंग	
18C	चेक / डिमांड ड्राफ्ट का विवरण	संख्या					दिनांक :	
		बैंक का नाम						
		शाखा						
		लेनदेन आई.डी.					भुगतान की तारीख	

18E	अधिसूचित बैंकों की शाखा में भुगतान के लिए	बैंक का नाम	
		शाखा	
		लेनदेन आई.डी.	भुगतान की तारीख
18F	नागरिक सुविधा केंद्र में भुगतान के लिए	केन्द्र का नाम	
		स्थान	
		लेनदेन आई.डी.	भुगतान की तारीख

घोषणा :

मैं / हम घोषणा करता हूँ / हैं कि उपरोक्त जानकारी और संपत्ति कर निर्धारण मेरी / हमारी जानकारी में सही है, तथा मैं / हम बिहार नगर अधिनियम 2007 के संगत प्रावधानों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ / हैं।

मैं/हम पूरी तरह समझता / समझते हूँ / हैं कि यदि उपर दी गयी कोई जानकारी झूठी पायी गयी तो मैं / हम बिहार सरकार या नगरपालिका द्वारा विहित कानून, नियम अथवा विनिमय के अंतर्गत दंडात्मक कारवाई या अन्य परिणाम का भागी बनूँगा / बनेंगे।

सम्पत्ति-स्वामी / करदाता का नाम...

हस्ताक्षर एवं तिथि...

भागलपुर नगर निगम, भागलपुर

स्व-कर मूल्यांकन प्रपत्र का अनुलग्नक

1. स्व-कर मूल्यांकन प्रपत्र का अनुलग्नक।

क 1, स्वामित्व का प्रकार (Type of Ownership)

एकल स्वामित्व	साझेदारी फर्म	मंडल	सरकारी संस्था	सार्वजनिक कम्पनी
संयुक्त स्वामित्व	निजी फर्म	संस्थान	प्राधिकरण	निजी कम्पनी
ट्रस्ट	गैर सरकारी संस्था	सरकारी संस्था	एच यू एफ (हिंदू अविभाजित परिवार)	अन्य

क 2, खाली जमीन कर दी दर (दर रुपया प्रति वर्ग मीटर)

प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य सड़क
5	4	3

खाली जमीन कर की दर (प्रति वर्ग फीट में)

प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य सड़क
0.46	0.37	0.28

क 3, अधिभोगगुणक

क्र.सं.	अधिभोग का प्रकार	गुणात्मक कारक
1.	स्व. अधिभोग हेतु	1
2.	किराये के अधिभोग हेतु	1.5

क 4, सम्पत्तियों के कर योग्य क्षेत्र की गणना

संपत्तियों की करयोग्य क्षेत्रों की इकाइयों के गणना के प्रयोजन के लिए कृपया निम्न तालिका का पालन करें -

वैयक्तिक आवासीय संपत्ति	संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत
वैयक्तिक गैर आवासीय संपत्ति	संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत
वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट	संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत
वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट	संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत

क 5. गैर-आवासीय उपयोग के कारक

उपयोग आई.डी.	अधिभोग का प्रकार
1.	होटल, बार, क्लब, स्वास्थ्य क्लब और शादी हॉल
2.	दुकानें (250 वर्ग फुट क्षेत्र से कम)
3.	दुकानें (ऊपर द्वितीय को छोड़कर) शो रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स, औषधालयों, प्रयोगशालाओं, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस
4.	वाणिज्यिक कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बीमा कार्यालयों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम
5.	इंडस्ट्रीज, कार्यशालाएं, भंडारण गोदाम और वेयरहाउस
6.	राज्य और केन्द्र सरकार के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और उपक्रम
7.	कोचिंग क्लासेस, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र व उनके हॉस्टल
8.	राज्य और केन्द्र सरकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उपक्रमों के अलावा अन्य कार्यालयों
9.	निजी स्कूलों, निजी कॉलेजों, निजी अनुसन्धान संस्थानों और अन्य निजी शिक्षण संस्थानों और उनके हॉस्टल
10.	आध्यात्मिक और धार्मिक प्रकृति के स्थान, केंद्र और
11.	शैक्षिक और सामाजिक गरीबों, शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं और बच्चों के सामाजिक सुरक्षा के लाभ के लिए संचालित चैरिटेबल ट्रस्ट जिसे लाभ या हानि हेतु संचालित नहीं किया जाता है।
12.	कोई अन्य होल्डिंग जो (1) से (11) के अंतर्गत नहीं आता हो।

श्रेणी 8 के मामले में, सम्पत्ति कर के स्थान पर सेवा प्रभार देय होगा, जो संपत्ति कर के 75% के बराबर होगा।

क 6. छूट

1. वैसे सभी संरचनाओं में, जो बारिश के पानी के संरक्षण प्रौद्योगिकी/ सुविधा द्वारा पानी का उपयोग करता है, कुल देय सम्पत्ति कर पर 5 (पांच) % छूट का दावा कर सकता है परन्तु, इसके लिए करदाता के पास भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है।
2. अगर वित्तीय वर्ष के देय सम्पत्ति कर का भुगतान 30 जून या उससे पहले किया जाता है तो देय सम्पत्ति कर पर 5% (पांच) छूट का दावा किया जा सकता है।

क 7. ब्याज / पेनल्टी

वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर के बाद सभी भुगतान पर 1.5% मासिक ब्याज रूप में दंड वसूला जायेगा जो की वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावी माना जायेगा।

भागलपुर नगर निगम, भागलपुर

II. अनुलग्नक II : वार्षिक किराया मूल्य की गणना के लिए मैट्रिक्स (एआरवी) और कर की दर

क इकाई क्षेत्र दर (रु प्रति वर्ग फुट)

निर्माण का प्रकार	प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग			मुख्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग			अन्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग		
	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय
आर.सी.सी. छत वाला पक्का भवन	58	44	22	44	29	15	22	15	8
एस्बेस्टस/ कौरोगेटेड चादर की छत वाला पक्का भवन	44	29	15	29	22	10	15	10	5
अन्य	22	15	8	15	10	5	10	5	3

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

1. वैसे मामलों में जहां इमारत को आंशिक रूप से आवासीय और आंशिक रूप से वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग में लिया जाता है, इन दोनों उपयोग के लिए वास्तविक रूप में इस्तेमाल में लाये जाने वाले क्षेत्र में अलग से विभिन्न उपयोगों के लिए निर्धारित दर के हिसाब से कर लगाया जाएगा।
2. 'अन्य' के अंतर्गत होल्डिंग्स के उपयोग में शामिल होगा।
   - अ. राज्य, पी.एस.यू. और केन्द्र सरकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इमारतों के अलावा इनके कार्यालय।
   - आ. सरकार द्वारा संचालित स्कूल, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा केन्द्र।
   - इ. शैक्षिक और सामाजिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोई लाभ-कोई नुकसान नहीं के आधार पर गरीबों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों की भलाई एवं महिलाओं और बच्चों के सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाये जाने वाले संस्थान।

ख. कर का दर

- अ. समेकित संपत्ति कर की दर- ए.आर.वी. का 6.5%
- आ. स्वास्थ्य उपकर - ए.आर.वी. का 1.25%
- इ. शिक्षा उपकर - ए.आर.वी. का 1.25%
- ई. कुल कर की दर - ए.आर.वी. का 9%

भागलपुर नगर निगम, भागलपुर

III अनुलग्नक III : सड़क का वर्गीकरण

क. प्रधान मुख्य सड़क

क्र०सं०	सड़क का नाम	क्र०सं०	सड़क का नाम	क्र०सं०	सड़क का नाम
1	नेताजी सुभाष चन्द्र घोष मार्ग	6	डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	11	सुजागंज बाजार रोड
2	राय बहादुर सुखराज राय पथ	7	पटल बाबु रोड	12	आर०बी०एस० रोड
3	पुलिस लाईन रोड	8	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पथ	13	राधा रानी सिन्हा रोड
4	स्वामी विवेकानन्द पथ	9	के०बी० लाल रोड	14	आनन्द चिकित्सालय रोड
5	महात्मा गाँधी पथ	10	डी०एन० सिंह रोड	15	मीर दुल्ला लेन

16. भगवान [illegible]

ख. मुख्य सड़क

क्र०सं०	सड़क का नाम	क्र०सं०	सड़क का नाम	क्र०सं०	सड़क का नाम
1	बौंसी रोड	27	नवीन चन्द्र गांगुली रोड	53	जी०सी० बनर्जी रोड
2	गिरधारी साह लेन	28	यतीन्द्र मोहन सरकार लेन	54	सुन्दर लाल लेन
3	तिलकधारी लाल लेन	29	मानिक सरकार घाट रोड	55	ज्ञानेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड
4	हुसैन वक्स लेन	30	बी०एस०के० तरफदार रोड	56	ब्रियल ग्राउण्ड रोड
5	सुजागंज मस्जिद लेन	31	राजा शिवचन्द्र वनर्जी रोड	57	ऑफ सेन्ट्रल जेल रोड
6	राय लक्ष्मी पथ लेन	32	डी०एन० सिंह घाट रोड	58	सूर्य नारायण सिंह रोड
7	दर्शन साह लेन	33	राजा राम मोहन राय पथ	59	अपर क्लीव लैण्ड रोड
8	हरदेव दास लेन	34	ललिता देवी लेन	60	एम०टी०एन० घोष रोड
9	गोपाल लाल लेन	35	कचहरी रोड	61	नाथनगर बाजार लेन
10	सखीचन्द्र कटरा लेन	36	जिला परिषद् रोड	62	गोलदार पट्टी लेन
11	शेखावत हुसैन लेन	37	रेड क्रॉस रोड	63	फोर्ट रोड नं० 1
12	कालिका राम लेन	38	टी०एन० सिंह रोड	64	ईस्ट गुड़हट्टा रोड
13	जैन मंदिर लेन	39	चारू चन्द्र मुखर्जी रोड	65	मिरजानहाट रोड
14	अनन्तराम लेन	40	राजा एस०एन० रोड	66	लोअर चम्पानगर रोड
15	भुदादमल मारवाड़ी लेन	41	अमूल्य चरण घोष रोड	67	नयाचक रोड
16	मारवाड़ी टोला लेन	42	उपेन्द्र नाथ वागची रोड	68	सौरवी साह लेन
17	सुजायत हुसैन लेन	43	बुढ़ानाथ रोड	69	जयराम मारवाड़ी लेन
18	तातारपुर लेन	44	रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड	70	आर०बी०एस०एस० कॉलनी रोड
19	टोडरमल लेन	45	हकीम देवी प्रसाद गुप्ता पथ	71	पन्नामील रोड
20	ए०बी० ढनढनियाँ लेन	46	मन्दरोजा रोड	72	डिक्सन रोड
21	भगवान दास लेन 1	47	उर्दू बाजार रोड	73	कहलगांव रोड
22	भगवान दास लेन 2	48	राम दास गुप्ता पथ	74	मनिहारी पट्टी लेन
23	सूर्य मोहन ठाकुर रोड	49	शहादत हुसैन लेन	75	रिशाला रोड
24	मायागंज रोड	50	राधा देवी लेन	76	छटपटी रोड
25	खंजरपुर रोड	51	जानकी प्रसाद लेन	77	श्यामल लाल लेन
26	आर०बी० सूर्या प्रसाद रोड	52	एन०सी० चटर्जी रोड	78	भगत लाल मिश्रा लेन
				79	ताँती बजार रोड

ग. अन्य सड़क

1	प्रधान मुख्य सड़क / मुख्य सड़क में जो अंकित नहीं है, के वो सभी रोड/लेन अन्य सड़क के श्रेणी में रहेंगे।

नोट : सिनेमा, भट्टी, नर्सिंग होम, बैंक, गोला, माकेट कॉम्प्लेक्स, निजी विद्यालय, फैक्ट्री, पेट्रोल पम्प, किरासन तेल डिपो, गोदाम, ट्रांसपोर्ट परिसर यदि मुख्य या अन्य किस्म के सड़क पर भी हो तो प्रधान मुख्य सड़क के व्यवसायिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।

सम्पत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) भरने के लिए सामान्य निर्देश

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (अद्यतन संशोधित) तथा बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुरुप नगर निकायों में सम्पत्ति कर / रिक्त भूमि कर के लिए स्वनिर्धारण प्रणाली (एस.ए.एस.) लागू की गयी है। अब डिमांड नोटिस की प्रतीक्षा किये बिना अपने होल्डिंग / सम्पत्ति कर (पी.टी.) का स्वनिर्धारण होल्डिंग के स्वामी अथवा कर दाता की जवाबदेही बन गयी है।

2. नियमावली की धारा 13 एवं 14 की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत यह प्रावधानित है कि जानबूझ कर गलत सूचना देने / निर्धारित अवधि में स्वनिर्धारण में विफल होने पर जुर्माना लगाया जायेगा।

3. प्रत्येक नगरपालिका / नगर परिषद / नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी संपत्तियाँ / होल्डिंग के लिए सम्पत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) अनिवार्य रूप से दायर की जानी है। केवल निम्न प्रकार की सम्पत्तियों / होल्डिंग को सम्पत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) दायर करने में रियायत प्रदान किया गया है :

   3.1 सभी होल्डिंग जिनका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए होता है।

   3.2 मलिन बस्तियों में अवस्थित सभी आवासीय इकाइयाँ जिनका प्लीन्थ क्षेत्रफल 250 वर्ग फीट से कम है।

4. सम्पत्ति कर विवरणी या तो www. nagarseva.in पर ऑनलाइन दायर की जा सकती है या इसे नागरिक सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) या नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया जा सकता है। यदि विवरणी आन लाइन दाखिल की जाती है तो इसका भुगतान या तो आनलाइन किया जा सकता है या www.nagarseva.in के साफ्टवेयर से दो प्रतियों में मुद्रित चालान सृजित (जेनरेट) कर पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में इसे जमा किया जा सकता है।

   भागलपुर नगर निगम के लिए
   पंजाब नेशनल बैंक, भागलपुर बाजार शाखा खाता संख्या 1966000100094695
   एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा भागलपुर खाता संख्या 11016673944 में जमा किया जा सकता है।

5. सभी होल्डिंग, जिनकी सम्पत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) ऑनलाइन जमा की जाएगी, के लिए साफ्टवेयर से एक यूनिक सम्पत्ति पहचान संख्या (पी.आई.डी.) प्रदान किया जायेगा। इसकी जानकारी आपके मोबाइल पर एस.एम.एस. (sms) के माध्यम से "MD-BNSeva" के नाम से भेजी जायेगी। सभी मामले जिनमें मैन्युअल रूप से संपत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) दायर किया जायेगा, पी.आई.डी. आबंटित कर एस.एम.एस. (sms) के माध्यम से भेजा जाएगा अथवा इसे ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से भी खोजा जा सकेगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत के साथ पत्राचार करते समय और आगामी वर्षों में ऑन लाइन अथवा मैन्युअल रूप से संपत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर) दायर करते समय पी.आई.डी. अवश्य उद्धृत करें।

6. सम्पत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) जमा करने तथा कर भुगतान की तिथि :

   प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर तक सम्पत्ति कर का भुगतान करते हुए सम्पत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) अवश्य दायर किया जाता चाहिए। 30 जून तक सम्पत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) दायर एवं भुगतान करने पर भुगतेय कर पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी। 30 सितम्बर के बाद कर सम्पत्ति कर विवरणी (पी.टी.आर.) दायर एवं भुगतान करने पर संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 1.5 प्रतिमाह के दर से ब्याज का भुगतान अपेक्षित होगा।

7. अतिरिक्त जानकारी या सम्पत्ति कर विवरणी से संबंधित किसी सहायता के लिए वेबसाइट www.nagarseva.in या नगर हेल्पलाइन +91-612-309 5555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।